प्रेस विज्ञप्ति
19-07-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आँचलिक कार्यालय ने अवैध खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आनंद कुमार अग्रवाल, बसंत कुमार दास और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खोरदा, भुवनेश्वर के समक्ष 16.07.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने बसंत कुमार दास और उनके सहयोगियों द्वारा 2005-2009 की अवधि के दौरान 21.60 करोड़ रुपये के अवैध खनन के आरोप पर सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जाँच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने मेसर्स सिद्धार्थ स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद कुमार अग्रवाल को (18.05.2024 को) गिरफ्तार किया था जो कथित रूप से कासियाबेड़ा आयरन ओर माइंस, बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा से मेसर्स जय जगन्नाथ मूवर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बसंत कुमार दास और प्रताप कुमार दास के साथ मिलीभगत करके अवैध खनन और बाद में बिक्री आय की लूट में शामिल था।